भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 57

29.01.2026 को उत्तर के लिए

महत्वपूर्ण खनिजों का पर्यावरण के अनुकूल खनन

57. श्रीमती संगीता यादवः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के पर्यावरण के अनुकूल खनन को सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधार किए हैं;

(ख) क्या उत्तरदायी खनन परिपाटियों और खनन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास को अनिवार्य बनाने के लिए कोई नीतियां लागू की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रदान की गई वित्तीय और नियामक सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) खान मंत्रालय ने खनिज संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर), 2017 के तहत संधारणीय खनन प्रणालियों के लिए प्रावधान किए हैं। उक्त नियमों के अनुसार, प्रत्येक खनन पट्टी धारक स्थायी खनन करने के लिए सभी संभावित सावधानियां बरतेगा। उक्त नियम संधारणीय खनन प्रणालियों के आधार पर खनन पट्टों की स्टार रेटिंग का प्रावधान करते हैं। स्टार रेटिंग योजना को पर्यावरण और वन सुरक्षा उपायों के लिए एक अंतर्निहित अनुपालन तंत्र के लिए बनाया गया है और सभी खनन पट्टा धारकों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए इस क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन करने वालों को पहचानने में सहायक रहा है। वायु प्रदूषण से बचने, जहरीले तरल के निर्वहन की रोकथाम, शोर से बचने, सतह के धंसाव के नियंत्रण आदि के नियमों में प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियम, 2016 के नियम 12 (1) (एम) के अनुसार, पट्टा धारक को खनन कार्यों से प्रभावित भूमि को यथासंभव बहाल करना अनिवार्य है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (यथा संशोधित) की धारा 9ख राज्य सरकारों को खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के कल्याण और लाभ के लिए काम करने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) स्थापित करने का अधिकार देती है। डीएमएफ के तहत अर्जित धन का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय शामिल हैं।

सरकार ने खनन कार्यकलापों को विनियमित करने और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के तहत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को अनिवार्य किया है। परियोजनाओं/कार्यकलापों को पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट (ईआईए)/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार करने के लिए विशेषज्ञ आकलन समिति (ईएसी)/राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समितियों (एसईएसी) द्वारा कार्यक्षेत्र के आधार पर विचार किया जाता है। ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट के आकलन के आधार पर, चर्चा/विचार-विमर्श, ईएसी/एसईएसी कुछ विशिष्ट और मानक स्थितियों के अधीन खनन परियोजनाओं की अनुशंसा करता है ताकि वैज्ञानिक, व्यवस्थित खनन और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें भराव, वनीकरण और घास रोपण के माध्यम से खनन क्षेत्रों का पुनर्स्थापना/बहाली शामिल है।
